की यात्रा के दौरान और उससे पहले भी जापान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के विचारों से सहमति प्रकट की थी और हमारा जापान के साथ सहयोग भी चल रहा है, विशेषकर sea lanes piracy को लेकर, जहां हमारी नौसेना और हमारे कोस्ट गार्ड्ज़ ने जापान के साथ सहयोग किया है। इसके उपरांत जापान ने खुला वक्तव्य दिया है और घोषणा की है कि जो भारत का कांप्रिहैंसिव कन्वैंशन ऑफ टैररिज्म है, जिसका एक प्रारूप संयुक्त राष्ट्र संघ में पड़ा है, जापान चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी ऐडॉप्ट हो और वह इसमें भारत को पूरा सहयोग देगा। इसे अतिरिक्त माननीय सदस्य जानते हैं कि 11 सितंबर की घटना के बाद जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऐलेशन का हिस्सा हो गया है और जापानी नौसेना बेड़े, कोऐलेशन के बेड़ों के साथ काम कर रहे हैं। अतः जापान इस परकार के आतंकवाद के खिलाफ है।

Amendment to Industrial Disputes Act, 1947

*263. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-report captioned "Central labours to make lay-offs easy" which appeared in the 'Newstime dated the 23rd February, 2002; and

(b) the safeguards taken/proposed to be taken to protect interests of labour before amending the Industrial Disputes Act, 1947 to lay off employees without Government's permission?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Attention of the Government has been drawn to the news-item which appeared in the Newstime dated 23rd February, 2002.

(b) Amendments to various labour laws are brought about keeping in view the requirements of the social partners and after ensuring that the workers interests are fully protected. The Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech in February, 2001 had indicated the Government's intention to amend the Industrial Disputes Act, 1947. It had been proposed in the said Budget Speech that the provisions of Chapter VB of the I.D. Act may now apply to the industrial establishments employing not less than

1000 workers instead of 100 and that the compensation will be increased from 15 day to 45 days for every completed year of service.

At present sufficient safeguards to protect the interests of workmen during "lay-off" is provided under section 25 C of the I.D. Act, 1947 under which a workman is to be paid lay-off compensation equal to 50 per cent of the wages upto 45 days in a year by the employer. After lay-off, if a workman is retrenched, it shall be lawful for the employer to adjust the lay-off compensation paid to the workman against the compensation payable for retrenchment. The existing legal rights under the I.D. Act, 1947 provide that the workman shall be entitled to one month's notice in writing by the employer indicating the reasons for retrenchment and in lieu of such notice wages for the period of notice.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Mr. Chairman, Sir, my supplementary is this. Is the Government aware of the fact that nearly all the trade union organisations have expressed stiff opposition to the proposed move to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in regard to the applicability of Chapter VB to the industrial establishments employing not less than 1000 workers instead of 100. Why has the Government ignored the viewpoint of the trade unions that such a provision could aggravate the unemployment situation?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस सवाल को पूछा है। इस सवाल के बाबत देश भर में काफी तरह की चर्चा भी है और कई तरह के न्यूज आइटम भी आती रहती हैं। निश्चित तौर पर आज दुनिया छोटी हो गई है और दुनिया भर में अकेले हमारा देश ही नहीं, दुनिया भर में लोग इस तरह सोच रहे हैं कि जो आज की परिस्थिति है इसमें, अपनी इण्डस्ट्री, अपना आर्ट, अपना कल्चर जो है इसको कैसे बचाएं तथा इसको कैसे दुनिया की रफ्तार के साथ मिलाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आई०डी० एक्ट पर और कांट्रेक्ट लेबर लॉ पर देश भर में सारी ट्रेड यूनियनों से, सारे लोगों से, पौलिटिकल पार्टीज से और भारत सरकार के भीतर इस पर काफी गंभीरता से बहस हो रही है, विचार हो रहा है और निश्चित तौरपर जो न्यूज आइटम के बारे में आपने पूछा है, मैं मानता हूं कि हजार के नीचे जो एस्टिब्लेशमेंट आएंगे, उनमें 74 परसेंट जो वर्क फोर्स है वह आ जाएगा। लेकिन गलतफहमी इस देश में यह है कि जो मेंबर हैं वे इनमें है, ट्रेड यूनियन में भी है और बाकी लोगों के बीच में

भी है। जो संख्या की बात है आई०डी० एक्ट के जितने प्रावधान हैं जो सेफगार्ड मजदूरों के लिए है वह सब के सब बदल दिए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि उन सेफगार्ड को हम मजबूत करने का कार्य करेंगे यानी वर्कर्स के हित में और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस ओर किसी ने देखा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें अकेले संख्या का मामला नहीं है, उसमें कई तरह से सुधार का हमारा प्रपोजल है और दो तरह के जो लेबर लॉज हैं उसमें जो आई०डी० एक्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज को अधिक पॉवर देने के बारे में है रिट्रेंचमेंट बेनिफिट जो आज वर्कर्स को मिलता है उसको 15 दिन से 45 दिन करने के बारे में है। लेबर मेनेजमेंट रिलेशंस को मजबूत करने के लिए एन्करेज करता है, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो एस्टिब्लेशमेंट वायलेशन करती है उसके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए वह कानून सक्षम नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि कितने बड़े पैमाने पर देश भर में कारखाने बंद हो रहे हैं और हमारा विभाग किस तरह से उनसे जूझ रहा है मैं इसकी व्यथा सदन से कहना चाहता हूं कि सारे कानूनों के रहते हुए भी हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को कितना हक मिल पाता है? आप सब जानते हैं कि कितनी संख्या में कारखाने बंद हो रहे हैं। हमने इसमें मजबूती लाने का काम किया है। यह संख्या का मामला जब तय हो जाएगा और सभापति महोदय, इससे पहले कि दूसरे माननीय सदस्य सवाल पूछें मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संख्या सौ से लेकर हजार सरकार की तरफ से प्रपोज्ड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस पर रुके हुए हैं कि यह संख्या यही रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने इस पर कई बार कहा है, हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के कार्यक्रम हैं उनमें बार-बार कहा है कि जो कानून हैं वह देश के मजदूरों के हित में रखकर, देश के हित में रखकर, इण्डस्ट्री की ग्रोथ के हित में रख कर लागू करेंगे।... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: व्यापक उत्तर दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती सरला माहेश्वरी: प्रधानमंत्री जी, इस सदन में आश्वासन दे दें कि इस तरह का मजदूर विरोधी संशोधन आप नहीं लाएंगे। ...(व्यवधान) श्रम मंत्री कुछ कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: कितने विस्तार से वह आपको कह रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the hon. Minister is making a speech. The question is very specific. (*Interruptions*)

SHRI SHARAD YADAV: Sir, what is your question? I am answering each and everything. (*Interruptions*).

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सरकार के अलग-अलग मंत्री अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं और हमारे देश की ट्रेड यूनियनें तथा तमाम मजदूर वर्ग इसके विरुद्ध आवाज उठा रहा है।...(व्यवधान) इस पर प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। देश के मजदूरों का सवाल है, देश की अर्थ नीति का सवाल है।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, उन्होंने जो पूछा है मैंने उससे ज्यादा बतलाया है वह इसलिए कि यह अकेले इनका सवाल नहीं है, देश भर के...(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इतना बड़ा सवाल है और आपको कुछ लगता नहीं है। प्रधान मंत्री जी बोलें और इस बात पर सदन को आश्वासन दें।...(**व्यवधान**)

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Sir, now I would like to put my second supplementary. The Minister has given some explanation. But why has the Government set up the Second Labour Commission? At least, the Government should have waited for some time. But, the Government is not taking care of the interests of workers. They are more interested in the multinationals and others. So,why doesn't the Government wait for the report of the Second Labour Commission report? The Government has set up this Commission. But the Minister has given some explanation. That is not the way. You know what the industrial position in the country is. You are amending the Industrial Disputes Act of 1947 after 50 years. But you have laid down certain democratic norms for the Second Labour Commission. Therefore, at least, the Government should wait for its report. Why is this pressure from multinationals and other companies? Why is the Government showing interest in the employers and the multinationals? The Minister has given some reply in some way. But he has not answered my specific question. I would like to know: why did you set up the Second Labour Commission? There was a mention that all disputes of the labourers would be considered. It has not yet submitted its report. Why don't you wait for its report? The Cabinet has taken a decision. My understanding is that even the Cabinet is divided on this decision.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, जो सेकेंड लेबर कमीशन बना हुआ है, उसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से कैटेगरीकाली कह रहा हूं कि जो सेकेंड लेबर कमीशन है, उसके वर्मा साहब चेयरमैन हैं, उसका टर्म बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसको इग्नोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने अभी इसके टर्म को बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाने वाले हैं। उसमें अकेले इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट नहीं है, उसमें हिन्दुस्तान का सबसे लाचार, बेबस और अंतिम आदमी, गांव, देहात का मजदूर अनआर्गनाइज्ड लेबर है। जो औरतें काम करती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, जो चाइल्ड लेबर है, यह उनके बारे में भी

है अर्थात् उसमें काफी इंतजाम लेबर के लिए किए गए हैं। हिन्दुस्तान के गरीब आदमी और मजदूर को कैसे पीएफ की सुविधा प्रदान की जाय, उसको इसमें कैसे लाया जाए, सोशल सेक्योरिटी कैसे लोगों को मिले, इस सबके लिए यह कमीशन कार्य कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सेकेंड लेबर कमीशन को इग्नोर करने का सवाल ही नहीं है। इस कमीशन के बनने का मतलब यह नहीं है कि देश में कोई बहस न हो। इस कमीशन के बनने का मतलब यह नहीं है कि जो एक्ट बिल्कुल रिडनडेंट हो गए हैं, उनको ठीक करने का काम न हो। जैसे-मिनीमम वेजिस एक्ट है, 1600 रुपये का मिनीमम वेजिज एक्ट है। आज किसको 1600 रुपये मिले रहे हैं, सबको इससे ज्यादा मिल रहे हैं इसलिए यह कानून अब किसी काम का नहीं है। यह कानून किताब और चेप्टर में पड़ा हुआ है। ऐसे कई कानून हैं जो बेकार में स्टेट्यूट बुक्स में पड़े हुये हैं, उनको सुधारने का काम सेकेंड लेबर कमीशन से बात करके किया जा रहा है, उससे पूछ करके किया जा रहा है और उसको इस पर कोई एतराज नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: उसके तहत इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट नहीं है।

श्री शरद यादव: यह उसमें है। लेकिन इसका मतलब सभापति महोदय, यह नहीं है कि हम उस पर बहस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। सरकार सब लोगों से बात करेगी। इसके बारे में प्रधान मंत्री जी दस बार कह चुके हैं, जो सरकार के हैड हैं, वे दस बार कह चुके हैं कि इस पर बातचीत किये बिना हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन बातचीत करने का मतलब यह नहीं है कि देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक दिया जाए। देश में सुधार न किए जाएं, बातचीत करना लोकतंत्र की अहम धुरी है। हम इस सवाल से हटने को तैयार नहीं हैं। सेकेंड लेबर कमीशन के चलते हम बहस न करें, हम कानूनों को सुधारने के लिए विचार न करें अपनी राय आपस में न बांटे, अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा?

SHRI CHO S. RAMASWAMY: Sir, I am of the opinion that no industrialist resorts to lay-off just for the pleasure of doing it. Only when the industry is not able to survive the market forces and only when there is no good business, lay-offs and retrenchments are resorted to. If we force the industries to continue to employ a large workforce, will it not lead to sickness and, perhaps, even closure? I would like to know from the hon. Minister whether the Government has got any statistics to show as to how many industries faced closure or sickness because they were not able to effect lay-out or retrenchment.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, चो॰ एस॰ रामास्वामी जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने जो आंकड़े मांगे हैं कि कितने कारखाने बंद हो गए हैं, कितने बंद नहीं हुए हैं, वो आंकड़े मेरे अभी पास नहीं हैं और निश्चित तौर पर मैं वे आंकड़े माननीय सदस्य के पास पहुंचाने का काम करुंगा, लेकिन इसकी संख्या बहुत बड़ी है। क्लोज़र का काम इस दौरान ही नहीं बल्कि 1991 से इतने बड़े पैमाने पर चला है कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन वे जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर वह भी एक सवाल है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, वह कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, यह सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आई॰डी॰ऐक्ट में गलतफहमी यह है कि सभी लोग संख्या से जूझ रहे हैं। संख्या के बारे में बहस की जाएगी, विरोधी पक्ष से सलाह-मशवरा किया जाएगा, ट्रेड यूनियन के लोगों से लगातार हम इंटरैक्ट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस काम में आगे बढ़ने का काम करेंगे। माननीय चो॰ एस॰ रामास्वामी जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो? इन कानूनों के तहत यदि इसमें बाधा है तो उसको दूर किया जाएगा। यदि बाधा नहीं है, तो ठीक है, और इसी के चलते हिंदुस्तान बन सकता है। इस पर विचार होगा और विचार के बाद हम इस सदन में आएंगे। इस सदन में भी मान लो यदि हमने किसी तरह की सोच-विचार में कमी की है, तो इस पर भी विचार होगा। यह इतनी जल्दी में होने वाला काम नहीं है।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister himself has said that if the Industrial Disputes Act is amended, 74 per cent of the workforce would be affected. He has also stated that the Second National Labour Commission was appointed by this Government. The terms of reference of the Second National Labour Commission are rationalisation of the labour laws of this country; and recommending an umbrella legislation for social security. Sir, if the Government has so much sympathy for the 89 per cent unorganised workers, why doesn't the Government amend all laws without waiting for the report of the Second National Labour Commission? Why doesn't the Government bring a comprehensive labour legislation which covers social security and employment guarantee for all the unorganised workers, without waiting for the report of the Second National Labour Commission? I would like to know whether the declaration made by the Finance Minister last year and the Cabinet decision just before the Session started, to amend the Industrial Disputes Act, would not influence the report which the

Second National labour Commission intends to give to the Government. They say that if this Act is amended, it would facilitate investments. This law is there from 1947. Already, the monopoly houses have increased their capital by more than ten times. If the existing Industrial Disputes Act could result in the increase of the capital of the monopoly Houses by more than ten times, it could also attract more investments. The European countries, which have more stringent labour laws, have ratified more ILO Convention than India. All the European countries are attracting more investment. Even though their labour laws are more stringent. The main problem is, the Government has not been able to develop the infrastrucutre. Because of our bureaucratic system and because of red-tapism there are no investment opportunities. Sir, this Government is trying to amend the labour laws to cover up its own faults only. Would the hon. Minister give a categorical assurance to the House that this law would not be amended in order to protect the interest of the workers?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जितने सवाल किए हैं मैं उन सबका जवाब दे चुका हूं। सीधी सी बात तो यह है कि जो सैकिण्ड लेबर कमीशन है। उस कमीशन का मतलब यह नहीं है कि वह अपने कान, आंख, जबान, मुंह बंद कर ले। देश में कोई भी चीज थमती नहीं है, रोज समस्या आती है। उस पर बहस करना, विचार करना अकेले लेबर कमीशन के जिम्मे नहीं होना चाहिए। यह एक ठोस काम है, इसलिए देश की सरकार या पार्लियामेंट में भी इस पर बहस और डिबेट होनी चाहिए। माननीय सदस्य का कहना है कि हमारे ये कानून बहुत खूबसूरत हैं, बेहतरीन हैं, यह बहस वे यहां कर रहे हैं, इसी तरह से कुछ लोगों का मानना है कि इन ऐक्ट्स के चलते हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई है और फॉरेन निवेश नहीं हो पा रहा है। ऐसी कई बहसें हुई हैं। इस बहस के संदर्भ में ही मैंने माननीय सदस्य से कहा है कानून बदलने के लिए अभी कुछ नहीं आया है।

श्री रामचन्द्र खूंटिआ: कैबिनेट डिसीजन आ गया है। सभापति जी, यह बहस की बात नहीं है, इस पर कैबिनेट डिसीजन हो चुका है।

श्री शरद यादव: कैबिनेट डिसीजन हुआ है लेकिन हम सिद्धान्ततः यह मानते हैं कि इस देश में जो लेबर लॉज बने हुए हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें निकाल देना है। जैसे आई॰डी॰ ऐक्ट है, कांट्रेक्ट लेबर ऐक्ट है, इन पर विचार हो रहा है। सिद्धांततः सरकार यह मानती है कि इनमें परिवर्तन होना चाहिए, ये बदलने जाने चाहिए लेकिन यह देखना जरूरी है कि वह परिवर्तन, वह बदलाव देश के मजदूरों, देश की जनता, देश की इंडस्ट्री के हित में हो।

श्री गया सिंह: सभापति जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मेरा सवाल उसी से संबंधित है। चूंकि अभी दो रोज पहले ही प्रधानमंत्री जी बड़ा जोर देकर कह रहे थे कि लोग बदनाम करते हैं कि हम इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं लेकिन मंत्री जी अभी जो जवाब दे रहे थे उन्होंने उसमें स्वयं स्वीकार किया कि 1991 के बाद से इंडस्ट्रीज ज्यादा सिक हुई हैं, कारखाने बंद हुए हैं। चूंकि यह लगातार चल रहा है इसीलिए इन्होंने सैकिण्ड लेबर कमीशन बनाया है। उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि आप जो अभी लेबर ट्रिब्यूनल की चर्चा कर रहे थे, जिसके माध्यम से आप मजदूरों की सुरक्षा करेंगे तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि लेबर ट्रिब्यूनल आर्लेडी हमारे देश में है। हालत यह है कि दस-पंद्रह सालों से मजदूरों के केस, बहुत-सी जगहों पर तो ऐसा है जहां सालों तक जज ही नियुक्त नहीं होते हैं। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत कहते हैं कि यह एक हजार मजदूर से नीचे नहीं है तो मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह कानून आज भी है। राज्य सरकार और लेबर डिपार्टमेंट की बगैर परमिशन के ही वे रिट्रेन्चमेंट कर रहे हैं। यदि आप पिछले पांच-सात साल का आंकड़ा ले लें तो आप पाएंगे कि इसी ऐक्ट के अंतर्गत परमिशन लेकर आपने हजारों मजदूरों की छंटनी कर दी है। हमारी समझ से इस लॉ का फरदर अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सैकिण्ड लेबर कमीशन बनाया है, आप यूनियन से डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अभी हाउस को यह एश्योरेंस दें कि हम अभी कोई अमेंडमेंट नहीं लाएंगे। सैकिण्ड लेबर कमीशन जब तक चलता रहेगा तब तक आप उसके अंदर ट्रेड यूनियन के साथ वार्ता करके, एक समझौता करके कोई कानून लाएं। अभी खूंटिआ साहब ने कहा कि इसमें और भी प्वाइंट हैं, तो क्या उन्हें लेकर आप यह एश्योरेंस हाउस को दे सकते हैं।

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने अभी जो बात कही है उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह हकीकत है, यह कानून है। मैं मानता हूं कि ये कानून इतने बांझ हैं कि सौ के नीचे हमें अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इतने क्लॉज और बचने के रास्ते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में कारखाने बंद हुए हैं। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं, मैं माननीय सदस्य को बाद में पहुंचा दूंगा। आप दिल्ली के आसपास चले जाइए वहां लोग ताले लगाकर भाग गए हैं लेकिन कानून उन्हें सजा नहीं दे पा रहा है। ये कहते हैं कि लेबर मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जब कानून नहीं है, हथियार नहीं है तो हथियार के बिना कैसे काम करेंगे? आप जो कह रहे उसके जरिए यह बात भी साबित होती है कि इन कानूनों में वह ताकत नहीं है। हालांकि उस ताकत को हासिल करना मजदूरों के हित में है, इंडस्ट्री के हित में है। सभापति जी, यह इतना बड़ा सवाल है जिससे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, देश की माली हालत जुड़ी हुई है। यहां अकेले ऑर्गेनाइज सैक्टर के सैक्शन के लिए बहस हो रही है। हिन्दुस्तान में ये करीब 2.8 करोड़

लोग हैं। उनकी चिंता करना जरुरी है, बहुत आवश्यक है लेकिन अनआर्गेनाइज सैक्टर में जो लोग हैं उनकी हालत तो और भी बुरी है ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: ये सब उसी में आते हैं ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: इसका सीधा संबंध आर०डी० ऐक्ट से है, अनआर्गेनाइज सैक्टर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने सही बात कही है यह कानून है लेकिन ये इतने बेदांत हैं, इनमें दांत ही नहीं हैं, ताकत ही नहीं है, इसलिए इनको ताकत देना भी इसका मकसद है। आई० डी० एक्ट में केवल संख्या की बात नहीं है, इसमें यह भी है कि इस कानून के दांतों को कैसे मजबूत किया जाए।

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर रहा है कि यह देश इस समय औद्योगिक मंदी के दौर से गुज़र रहा है, औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं, लेकिन जो औद्योगिक ईकाइयां बन्द हो रही हैं, उसके लिए सिर्फ मजदूर जिम्मेदार नहीं है। मंत्री जी को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में बड़े बड़े बिजनेस हाऊसेज़ ने लगभग 70 हजार करोड़ रुपये एन०पी०ए० में कनवर्ट कर दिये हैं। आप ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लाते जिसके द्वारा प्रोमोटर से पैसे वसूले जाएं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे खा लिए हैं, तीन चार हजार करोड़ रुपया बैंकों से लेकर के डकार गये। हमारे पास कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है। जो औद्योगिक मंदी है या औद्योगिक इकाइयां बंद हुई हैं, उसके लिए मजदूर जिम्मेदार नहीं है। इस आधार पर किसी भी कानून में संशोधन या अमेंडमेंट लेकर नहीं आना चाहिये। हमारा कहना यह है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आखिर वे कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं जो यह चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन हो? मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर मंत्री महोदय ईमानदारी से बता दें। एक सौ की जो एक सीमा रेखा है, लिमिट है, औद्योगिक विवाद कानून के हिसाब से उस सीमा रेखा से मजदूरों को एक संरक्षण मिलता है। सौ से आप एक हजार तक कर देंगे तो निश्चित तौर पर उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि आप इसमें श्रम सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं, लेबर रिफार्म प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसा कोई सुधार कार्यक्रम नहीं हो सकता है जिससे मजदूरों को जो संरक्षण मिल रहा है, वह संरक्षण उनसे छीन लिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कानून को संशोधित करके आखिर मजदूरों को कैसे संरक्षण दे पाएंगे, सौ की सीमा रेखा को एक हजार तक ले जाकर के यह हमें समझ नहीं आ रहा है? शिव सेना ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। जहां तक श्रम आयोग के बारे में बार-बार आप जवाब दे रहे हैं, वह जवाब गलत है। लोगों का प्रश्न यह है कि जब दूसरा श्रम आयोग है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है तो संशोधन करने की जल्दबाजी क्या है? क्या इस पर बहस नहीं हो सकती है? हम बहस करने के लिए तैयार हैं।

लेकिन सीधे कैबिनेट से उस संशोधन को पास करके सदन में लाने की तैयार करना, इस पर लोगों को एतराज है। आप बहस करिये, बहस करने में कोई गुनाह नहीं है, आप चर्चा करिये, सदन में करिये, सदन के बाहर चर्चा करिये, एन०डी०ए० में चर्चा करिये, अपोज़ीशन पार्टीज़ के साथ बैठ कर चर्चा करिये, आल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाइये। इस देश में इतना बड़ा मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग के बारे में अगर कोई इतना भयानक निर्णय लिया जा रहा है तो उस निर्णय के ऊपर लोगों का एतराज होगा। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि श्रम आयोग की रिपोर्ट आने तक इंतज़ार किया जा सकता था, कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं था। कुछ औद्योगिक इकाइयों को तकलीफ है, औद्योगिक कारखाने बंद हो रहे हैं, इस बात से हम सहमत हैं। मेरा जो प्वाइंटेड क्वेश्चन है, मुझे यह पूछना है, मंत्री महोदय ईमानदारी से सदन के समक्ष यह रखें कि आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो यह दबाव डाल रही हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इस संदर्भ में चूंकि एन०डी०ए० के कुछ पार्टनर स्वयं मेरी पार्टी के प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एतराज किया है, क्या इस संदर्भ में आप एन०डी०ए० की बैठक बुलाकर अपने सारे पार्टनर्ज़ को कनविंस कर पाएंगे? तीसरी बात, आल पार्टी मिटिंग बुलाने का यह विषय है, बिलकुल यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है, सर्वदलीय बैठक बुला कर के इस पूरे विषय पर लोगों को आप कनविंस करिये, चर्चा करिये, हम स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन बैगर चर्चा किये, बगैर हमें कनविंस किये इतना बड़ा संशोधन नहीं होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वे इस सदन में आश्वासन दें कि यह संशोधन तब तक नहीं आएगा। जब तक सारी की सारी पार्टियां, सारे के सारे लोग इसे स्वीकार न कर लें।

श्री दीपांकर मुखर्जी: हां, या नहीं बोलिये बस। ...**(व्यवधान)**...आर पार हो जाए, ...**(व्यवधान)**... आप तो आर-पार की बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचन्द्र खूंटिआ: आप दिल से बोलिये, हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो संजय निरुपम जी ने कहा कि सरकार दबाव में काम कर रही है, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि एन०डी०ए० की सरकार किसी भी कीमत पर कभी भी किसी भी तरह के दबाव में न आई है और न आगे आएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिये...**(व्यवधान)** ...

श्री शरद यादव: संजय निरुपम जी ने कहा ...**(व्यवधान)**... हम कोई दबाव नहीं मानेंगे। हिन्दुस्तान के हित में जो काम होगा, वही काम करेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: मेरी बात का भी जवाब दीजिये।

श्री शरद यादव: आपका जब नम्बर आएगा तो आपकी बात का भी जवाब देंगे।

...(व्यवधान)... संजय निरुपम ने जो बात कही है कि 70 हजार करोड़ रुपया लोगों पर बकाया और इतने कारखाने बन्द हो गये, सभापति जी, मैं यह बात कहूंगा कि यह लेबर कानून इतने बांझ हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: मंत्री महोदय, इस कानून की वजह से किसी ने 70 हजार करोड़ रुपया नहीं खाया है। इसकी वजह यह है कि अगर एक कंपनी को बैंक ने लोन दिया, वह कंपनी बैंक का लोन रिपे नहीं कर पाती है। तो आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप सीधे प्रोमोटर्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। अगर इस देश को कोई कानून चाहिए तो ऐसा कानून चाहिए कि प्रोमोटर्स के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसी बड़ी कंपनियों को मैं जानता हूं जो 4,000 करोड़ रुपया खा गयी हैं। उन्होंने कह दिया कि हम बैंकरप्ट हैं ...(व्यवधान)...सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कई बिजिनेस हाउसेज को मैं जानता हूं जिन्होंने कहा कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं। ये 4,000 करोड़ रुपया आई०डी०बी०आई० वगैरह का खाकर बैठ गए और कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते हैं। उन बिजिनेस हाउसेज के पास चार-चार, पांच-पांच एयरक्राफ्टस हैं, नये बोइंग खरीदे जा रहे हैं। उनसे पूछिये कि तुम्हारे पास बोइंग कहां से आ रहे हैं कहां से खरीद रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उस दिशा में हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लेबर को तंग करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: उसके लिए कानून है। उसके लिए पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। जिनका पैसा बैंकों में बाकी है उसके लिए पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let him reply. (*Interruptions*)

श्री शरद यादव: मैंने यही बात कही जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो भी लेबर लॉज हैं, चाहे और मामले जो सदन में उठाए जा रहे हैं, इनको ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि यह कानून अभी सौ के नीचे वाले के लिए है, पहले उसमें 300 मजदूर थे। सदन को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पहले 300 थे, कांग्रेस पार्टी के जमाने में उसको एक सौ कर दिया ...(व्यवधान)...अच्छी तरह से याद है। कांग्रेस के या हमारे जमाने में यूनाइटेड फ्रंट की गनर्वमेंट थी ...(व्यवधान)... तो निश्चित तौर पर यह कानून है और इस कानून के चलते बड़े पैमाने पर क्लोजर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यही संजय जी से कह रहा हूं ...(व्यवधान)...अभी उन्होंने कहा कि बकाया है। तो ये भी चीजें हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं इनको दूर करने के लिए सदन है। इसीलिए यहां बैठे हैं। निश्चित तौर पर गड़ जो कहना है ...(व्यवधान)...सेकेंड लेबर कमीशन की

बाबत, उसकी रिपोर्ट के लिए मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि हमने उनका टर्म बढ़ाया है। यदि हमारा उसके प्रति आदर न होता, विश्वास न होता, उसके प्रति आशा न होती तो उसके टर्म को हमारी सरकार क्यों बढ़ाती और हमारी सरकार ने ही उसको एपाइंट किया है। निश्चित तौर पर इसलिए जो कमीशन है, उसकी रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट का मतलब सभापति महोदय, यह कहीं नहीं है, किसी तरह से नहीं है कि ...(**व्यवधान**)...इमिग्रेशन का जो बिल था उसको हमने रिपील किया है। उसमें देश के, चाहे सदन के, चाहे बाहर के लोग हों, कौन उसको मानेगा कि उसको नहीं करेंगे। यह जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, कौन सा मजदूर है जो 1600 रुपए पा रहा है? हर आदमी 3,000 रुपए पा रहा है। यहां का जो पिओन, चपरासी है उसको अच्छा वेज मिल रहा है। वेजेज एक्ट को इसमें रखकर क्या करेंगे? इसमें चाहे कोई हो, कौन उसको मना करेगा। आप ही उसका सुधार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहस करने का मतलब यह नहीं है कि हम सारी चीजों का फैसला कर चुके हैं। फैसला हम बहस के बाद करेंगे और इधर देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे दुनिया देखेंगे, इसके बाद इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, यह तो हम कोट नहीं कर सकते हैं किसी और जगह पर प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा था कि मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं। एक ही चीज को हमारे मंत्री जी दोहरा रहे हैं अटल होकर कि श्रम कानून जो है उसमें हम कमीशन जरूर बनाते हैं लेकिन उसका दूसरा फैसला है, यह है, वह है। असल चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि मैं कवि नहीं हूं, मैं भी इंजीनियर हूं और आप भी इंजीनियर हैं। हम लोग, हां या ना में बात करते हैं, घुमा-घुमाकर नहीं...(**व्यवधान**) एक ही क्वेश्चन। आपने यहां कहा है कि अमेंडमेंट जो लॉज में ला रहे हैं—these are brought about keeping in view the reuirements of the social partner अब इस सोशल पार्टनर का क्या मतलब है? पार्टनरशिप के बारे में जैसे प्रधान मंत्री जी हैं उनको भी ज्यादा मालूम नहीं है और मुझे भी मालूम नहीं है, दोनों बैचलर्स हैं। आपको तो मालूम है। सोशल पार्टनर कौन है? मजदूर है...(**व्यवधान**) हां कि ना? अगर मजदूर आपका सोशल पार्टनर है और आप पार्टनर के बारे में कोई डिसिजन ले रहे हैं कि पार्टनर को छोड़ देंगे, निकाल देंगे, अंदर करेंगे तो पार्टनर से बातचीत तो करेंगे। संजय निरूपम जी जो कह रहे हैं, पार्टी की बात छोड़िए ...(**व्यवधान**) जितने सेंट्रल यूनियन्स हैं उन्होंने 16 तारीख को एक स्ट्राइक का नोटिस दिया है। इसमें राम नाम लेने वाले जितने लोग हैं, राम-रहीम सब लोग इसके बारे में स्ट्राइकनोटिस दे रहे हैं। आप क्या इस सदन में उठकर खड़े नहीं हो सकते। प्रधान मंत्री की तरफ मत ताकिए। इंजीनियर, इंजीनियर है। आप हां या ना बोलिए...(**व्यवधान**) आपको श्रम मंत्री बनाने से ऐसी हालत हो जाएगी? आप यह बता दीजिए कि आप सोशल पार्टनर्स, सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स के साथ डिसकस करेंगे या नहीं तब तक ऐसा कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं लायेंगे। इसके लिए या तो हां बोलिए, नहीं

लायेंगे और नहीं बोलिए तो यहां से सोशल पार्टनर, यह पॉर्टनर जो है इसको काट दीजिए, इसका सोशल लाइफ में बड़ा इम्प्लीकेशन होगा। ऐसी पॉर्टनरशिप कोई नहीं मानेगा कि आपने अकेले डिसीज़न ले लिया, आप लेबर मिनिस्टर हैं, फाइनांस मिनिस्टर ने बजट में बोल दिया हमने डिसीजन हमने लिया है, इंटेशन है। आप हां या ना में बोलिए, आपके पॉर्टनर से बातचीत किए बिना, ऐसा अमेंडमेंट लायेंगे, हां या ना? अगर नहीं बोलेंगे तो रास्ते में मिलेंगे और अगर हां, बोलेंगे तो बातचीत होगी। फिर हम लोग मान जाते हैं, आप एशोरेंस दे दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतमः आप लोग यूनियन की बात करते हैं....**(व्यवधान)**

श्री दीपांकर मुखर्जीः यह मंत्री नहीं हैं। हम इनकी बात नहीं सुनेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री संघप्रिय गौतमः जो लोग खेतों में काम करते हैं उनकी चिंता कौन करेगा?

कई माननीय सदस्यः आप करेंगे।

श्री संघप्रिय गौतमः अकेले यूनियन की बातें क्यों करते हो...**(व्यवधान)**

श्री बालकवि बैरागीः सभापति महोदय...**(व्यवधान)**

श्री सभापतिः जवाब मंत्री देंगे, आप क्यों दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** जवाब मंत्री जी ने देना है, बालकवि बैरागी जी ने नहीं देना। आप अभी मिनिस्टर नहीं बने हैं।

श्री बालकवि बैरागीः महोदय, इस प्रश्न में मुझे कुछ और जोड़ने के लिए बात करनी थी।

श्री नीलोत्पल बसुः मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री शरद यादवः सभापति जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री दीपांकर मुखर्जीः आप हां या ना बोल दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतमः जवाब दे दिया है।

श्री सभापतिः नैक्स्ट क्वश्चन श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"।

वस्तुओं के डुप्लीकेट ब्रांडों पर रोक लगाया जाना

*264. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां डुप्लीकेट ब्रांडों की वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष प्रतिबंध की मांग कर रही हैं;